उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा" शक्ति भवन विस्तार,
चतुर्थ तल, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
फोन नं0 : 0522–22878696

पत्रांक संख्या : मु0अभि0 (वाणिज्य–II)/रेड इकाई/डिस्काम, दिनांक : 01/09/2018

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यॉचल/पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक,
केस्को,
कानपुर।

महत्वपूर्ण

विषयः–विद्युत चोरी में पकड़े गये व्यक्तियों के विरूद्ध राजस्व निर्धारण बिल का एक तिहाई (1/3) भुगतान प्राप्त कर नया विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता परिसरों में विद्युत चोरी पाये जाने पर उ0प्र0 विद्युत आपूर्ति संहिता–2005 के बिन्दु 8.1 (b)(v) में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपभोक्ता के विरूद्ध किये गये राजस्व निर्धारण बिल के भुगतान की अन्तिम तारीख का विस्तार किये जाने एवं उपभोक्ता की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत किस्तों में भुगतान अनुमन्य किये जाने का प्राविधान है।

किन्तु ऐसे परिसर जिन पर नियमित विद्युत संयोजन नहीं है, उन मामलों में उ0प्र0 विद्युत आपूर्ति संहिता–2005 के बिन्दु 8.1 (a)(x) के अनुसार पूर्ण राजस्व निर्धारण बिल का भुगतान करने के उपरान्त ही नियमित विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान की वजह से ऐसे व्यक्ति जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है एवं राजस्व निर्धारण बिल का एकमुश्त भुगतान कर पाने में सक्षम नहीं हैं, नियमित विद्युत संयोजन प्राप्त कर विभाग के बिलिंग नेटवर्क में शामिल नहीं हो पाते हैं, जिसके फ़लस्वरूप उनके पुनः विद्युत चोरी मे लिप्त होने की संभावनायें अत्यधिक बढ़ जाती हैं।

उपर्युक्त के दृष्टिगत माननीय उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग से उ0प्र0 विद्युत आपूर्ति संहिता–2005 के बिन्दु 8.1 (a)(x) में प्रस्तावित संशोधन पर निर्णय के प्रतिबधाधीन, मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे परिसर जिनमें नियमित विद्युत संयोजन नहीं है एवं विद्युत चोरी पाई गई है, उनमें से ऐसे इच्छुक व्यक्ति, जिनके द्वारा नये संयोजन लिये जाने हेतु आवेदन भी किया जाता है, उनसे राजस्व निर्धारण बिल का न्यूनतम एक तिहाई (1/3) भुगतान प्राप्त कर, नियमित विद्युत संयोजन निर्गत कर दिया जाये एवं शेष राजस्व निर्धारण की धनराशि की वसूली, उनके नियमित विद्युत संयोजन के बीजक में प्रभारित कर अथवा अधिकतम तीन किश्तों में सुनिश्चित की जाये।

भवदीया,

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक संख्या–539 मु0 अभि0(वाणिज्य–2)/तद्दिनांक 01/09/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. निदेशक (वाणिज्य), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा, एवं केस्को कानपुर।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/ आगरा, एवं केस्को कानपुर।

Aparna. U.

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक